प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.06.2026

अपराधियों के विरुद्धव्यापक तलाशी एवं सत्यापन अभियान

कमिश्नरेट गाजियाबाद की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में कमिश्नरेट गाजियाबाद में विगत 05 वर्षों में शरीर सम्बन्धी अपराध (हत्या, हत्या का प्रयास, सदोष मानववध, बलवा) आदि में संलिप्त रहे अपराधियों के विरुद्ध दिनांक 13.06.26 व दिनांक 14.06.26 को व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।

इस दौरान समस्त थाना क्षेत्रों में निवासित अपराधियों का विवरण, जो **यक्ष एप** पर फीड है, उसका भौतिक सत्यापन भी किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई तथा उनके पते एवं उपस्थिति का सत्यापन सुनिश्चित किया गया।

अभियान का उद्देश्य :-

- अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
- कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना।

दिनांक 13.06.2026 व दिनांक 14.06.2026 को किये गये चेकिंग अभियान का विवरण:-

जोन	चेक किए गए कुल अपराधियों की संख्या	सत्यापित किये गये अपराधियों की संख्या	मौजूद मिले अपराधियों की संख्या	कितने अपराधी फरार मिले	कितने अपराधी जेल में पाये गये
नगर	420	401	267	97	36
ट्रांस हिंडन	941	472	330	116	16
ग्रामीण	1453	975	697	98	157
कुल योग	**2814**	**1848**	**1294**	**311**	**209**

जो अपराधी फरार हैं उनके सम्बन्ध में गहनता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

इस प्रकार का तलाशी एवं सत्यापन अभियान भविष्य में सम्पूर्ण गाजियाबाद कमिश्नरेट क्षेत्र में चलाया जाएगा ताकि अपराधियों पर व्यापक अंकुश लगाया जा सके और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर बरामद।

आज दिनांक 16.06.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोदीनगर क्षेत्र से मोटर चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त नमन ढाका पुत्र प्रवीण ढाका निवासी महेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 04 मोटर (खुली हुयी) बरामद हुयी। उपरोक्त चोरी की घटना के संबंध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि कि मैंने अपने 03 साथियों राजा, चुनमुन व रवि के साथ मिलकर कपड़ा मिल महेन्द्रपुरी मोदीनगर से 04 बिजली की मोटर खोलकर चोरी की थी। जिन्हें हमने बेचने के लिये रात में छुपाकर रख दिया था। आज हम इन चोरी की मोटर को बेचने के लिये किसी सवारी का इन्तजार कर रहे थे कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तथा मेरे 03 साथी मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नमन ढाका पुत्र प्रवीण ढाका निवासी महेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता

1.राजा 2. चुनमुन 3. रवि निवासीगण जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 04 मोटर बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त चोरी/बरामदगी के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व मे थाना मोदीनगर पर मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 16.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त अमन त्यागी पुत्र निर्दोष त्यागी निवासी निशान्त कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना भलस्वा डेरी आउटर नोर्थ दिल्ली पर चोरी की अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त चोरी की मोटर साइकिल बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने करीब एक वर्ष पहले दिल्ली से चोरी की थी जिसे मैंने अभी तक छिपा रखा था। आज मैं इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन त्यागी पुत्र निर्दोष त्यागी निवासी निशान्त कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त मोटर साइकिल चोरी के संबंध में थाना भलस्वा डेरी आउटर नोर्थ दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम तथा यातायात पुलिस की संयुक्त चैकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम तथा यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1.रवि पुत्र योगेश निवासी बडे खम्भे के नीचे भट्टा नम्बर 05 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष व 2. इन्दर पुत्र जयराम निवासी झुग्गी नम्बर बी-222 रामप्रस्थ आनन्द बिहार थाना लिकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को मैट्रो पिलर नम्बर 110 व 109 के बीच चौकी क्षेत्र सीमा से चोरी की 01 मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाईकिल रवि नें कलियर शरीफ हरिद्वार उत्तराखण्ड से चोरी की थी जिसकी जानकारी इन्दर को पहले से ही थी तथा दोनो अभियुक्त मिलकर इस मोटरसाईकिल का इस्तेमाल करते थे और दोनो मिलकर दिल्ली एनसीआर मे वाहन चोरी की घटना करते है। दोनो अभियुक्तो नें बताया कि जिससे हमारा नशे का खर्चा चल जाता है। आज भी हम वाहन चोरी करने की तलाश मे थे, कि पुलिस नें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता :-

1.रवि पुत्र योगेश निवासी बडे खम्भे के नीचे भट्टा नम्बर 05 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

2. इन्दर पुत्र जयराम निवासी झुग्गी नम्बर बी-222 रामप्रस्थ आनन्द बिहार थाना लिकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद।

अभियुक्त रवि का आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त रवि के विरुद्ध उत्तराखण्ड व गाजियाबाद में चोरी ,अपहरण,आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त इन्दर का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त इन्दर के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम।

स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा तनिष्क शोरूम में चोरी की घटना का अनावरण, 2 अभियुक्त एवं 1 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 2 किलोग्राम पीली धातु, 6.5 लाख रुपये नकद, (अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपये), 1 तमंचा व 6 कारतूस बरामद।

घटना का विवरण

दिनांक 12.06.2026 को वादी रोहित अरोड़ा पुत्र लक्ष्मण अरोड़ा, निवासी के-99, तृतीय मंजिल, एन.एन.बी. कालकाजी, नई दिल्ली, ने थाना कविनगर पर तहरीर देकर बताया कि उनके तनिष्क शोरूम पर कार्यरत नितिन वर्मा पुत्र संजय वर्मा, निवासी मकान संख्या-492, बुलाका पाड़ा, मोदीनगर, काजल पुत्री स्व0 मनोज कुमार निवासी मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद तथा उसके एक अन्य अज्ञात साथी द्वारा शोरूम का ताला खोलकर आभूषण चोरी कर लिए गए हैं।

उक्त सूचना के आधार पर थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

कार्रवाई का विवरण

घटना के अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया। स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, स्थानीय सूचना तंत्र तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 16.06.2026 को निम्नलिखित अभियुक्तों को साई फाटक, चिरंजीव विहार, चौकी अवंतिका क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया—

1. नितिन वर्मा पुत्र संजय वर्मा, निवासी मकान संख्या-492, बुलाका पाड़ा, मोदीनगर, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र लगभग 24 वर्ष।
2. संजय वर्मा पुत्र कालूराम, निवासी मकान संख्या-492, बुलाका पाड़ा, मोदीनगर, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र लगभग 52 वर्ष।
3. काजल पुत्री स्व0 मनोज कुमार निवासी मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 2 किलोग्राम पीली धातु (अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपये), 6.5 लाख रुपये नकद, 1 तमंचा 12 बोर एवं 6 कारतूस 12 बोर बरामद किए गए। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त नितिन वर्मा ने पूछताछ में बताया कि अपने खर्चे व शौक मौज को पुरा करने के लिए शोरूम में रखे सोने के आभूषणों को देखकर उसके मन में चोरी करने का विचार आया। उसने इस संबंध में अपने पिता संजय वर्मा, अपनी महिला मित्र तथा दो अन्य साथियों से चर्चा की, जिसके बाद सभी ने मिलकर तनिष्क शोरूम से आभूषण चोरी करने की योजना बनाई।

योजना के तहत दिनांक 11.06.2026 की शाम उसने शोरूम के समस्त स्टाफ को अपनी शादी तय होने की बात कहकर दावत दी। इस दौरान शोरूम की चाबी रखने वाले कैशियर गौतम राज को अधिक शराब पिलाई तथा उसे घर छोड़ने के बहाने उसके बैग से शोरूम के मुख्य द्वार की चाबियां चोरी कर लीं।

इसके बाद दिनांक 12.06.2026 को प्रातः लगभग 07:15 बजे वह अपने एक साथी के साथ शोरूम पहुंचा। उसने चाबी से ताला खोला और अंदर प्रवेश कर गया, जबकि उसका एक साथी बाहर निगरानी करता रहा। शोरूम से आभूषण चोरी करने के बाद वे सभी मौके से फरार हो गए।

बाद में चोरी किए गए आभूषणों का आपस में बंटवारा कर लिया गया। अभियुक्त ने बताया कि कुछ आभूषण राह चलते व्यक्तियों को बेच दिए गए थे तथा उनसे प्राप्त धनराशि पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है।

अभियुक्त संजय वर्मा एवं गिरफ्तार अभियुक्ता ने भी पूछताछ के दौरान नितिन वर्मा के कथनों की पुष्टि करते हुए बताया कि चोरी की योजना सभी ने मिलकर बनाई थी। उनके हिस्से में आए आभूषण भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। शेष आभूषणों को बेचने की फिराक में रहते समय वे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नितिन वर्मा पुत्र संजय वर्मा, निवासी मकान संख्या-492, बुलाका पाड़ा, मोदीनगर, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र लगभग 24 वर्ष।
2. संजय वर्मा पुत्र कालूराम, निवासी मकान संख्या-492, बुलाका पाड़ा, मोदीनगर, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र लगभग 52 वर्ष।
3. काजल पुत्री स्व0 मनोज कुमार निवासी मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1. लगभग 2 किलोग्राम पीली धातु
2. 6.5 लाख रुपये नकद **(अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपये)**
3. 1 तमंचा 12 बोर।
4. 6 कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम

- स्वाट टीम, नगर जोन
- थाना कविनगर पुलिस टीम